

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या 50/2020

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अब्दुलखान पुत्र सिदिकखान 2. सुरती पत्नी सिदिकखान जाति मुसलमान, निवासी मेहरो की ढाणी तहसील शिव, जिला बाडमेर		1 इसाक पुत्र अदरीम 2 बचू पुत्र अदरीम 3 हसन पुत्र अदरीम 4 सतु पत्नी अदरीम 5 पुन पुत्र वलीमोहम्मद - फौत 5.1 शिकंदर पुत्र पनु 5.2 सरीफो पत्नी पनु 6 मेहरदीन पुत्र वलीमोहम्मद 7 माझीखान पुत्र उस्मान 8 शकुरखान पुत्र उस्मान 9 अली पुत्र उस्मान 10 तमाची पुत्र उस्मान 11 गुलबा पुत्र इब्राम 12 अबदा पुत्र इब्राम 13 हनीफो पत्नी मलूक 14 हलीमखान पुत्र मलूक 15 नसीरखान पुत्र मलूक 16 ईशाकखान पुत्र मलूक 17 जाकूबखान पुत्र मलूक 18 दाउदखान पुत्र मलूक 19 झीमो पत्नी मखण 20 राणी पत्नी मीरण 21 अमीनो पत्नी कुरबान 22 खती पत्नी तमाची 23 जीमो पत्नी शकुरखान 24 मरियम पत्नी अलीखान 25 चांदा पत्नी माझीखान जाति मुसलमान, निवासी मेहरो की ढाणी तहसील शिव, जिला बाडमेर 26 राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपरिष्ठत :- अधिवक्ता वादीगण - श्री बृजमोहन कुमावत।

--: निर्णय :-

दिनांक : 03.01.2025

वादीगण अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल कोटड़ा के ग्राम तालों का पार के खेत खसरा नम्बर 1048 रकबा 10.1981 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -


क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	अब्दुलखान पुत्र सिदिकखान 1/2 सुरती पत्नी सिदिकखान 1/2 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	तालों का पार	1048	1.7000	ख.दो.	-	लाल
2	अबदा पुत्र इब्राम, अमीनो पत्नी कुरबान, अली पुत्र उस्मान, अलीया पुत्र इब्राम, आदमखान पुत्र मेहरदीन, इसाक पुत्र अदरीम, ईसाकखान पुत्र मलूक, खती पत्नी तमाची, गुलबा पुत्र इब्राम, चांदा पत्नी मांजीखान, जाकूबखान पुत्र मलूक, जीमो पत्नी शकुर, झीमो पत्नी मखण, तमाची पुत्र उस्मान, दाउदखान पुत्र मलूक, धाउ पुत्री मेहरदीन, नसीरखान पुत्र मलूक, पनु पुत्र वलीमोहम्मद, बचू पुत्र अदरीम, मरीयम पत्नी अलीखान, माझीखान पुत्र उस्मान, राणी पत्नी मीरण, शकुरखान पुत्र उस्मान, सतु पत्नी अदरीम, हनीफो पत्नी मलूक, हलीमखान पुत्र मलूक, हसन पुत्र अदरीम कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	तालों का पार	1048	8.4981	ख.दो.	-	


सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव